रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, शनिवार, मई 13, 2000/वैशाख 23, 1922
No. 271] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 13, 2000/VAISAKHA 23, 1922

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2000

सा. का. नि. 450(अ).— संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए, जिसकी राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अनुमोदन और पुष्टि कर दी गई है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) (संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1956 के नियम 2 के उपनियम (1) में विद्यमान परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह कि जहां उनके अनुरोध पर उन्हें बंगले के रूप में आवास सुविधा आवंटित की जाती है, वहां वह यदि ऐसी आवास सुविधा का हकदार है तो वह संपूर्ण सामान्य अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा।"

[एफ. सं. आर एस-8/2000-2001/एम. एस ग.]

आर. सी. त्रिपाठी, महासचिव

पाद टिप्पण:- मूल नियम का.नि.आ. 1972, दिनांक 8.5.1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. 545 (अ) दिनांक 31.8.1998 द्वारा अन्तिम संशोधन किया गया।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) (संशोधन) नियम, 2000 का व्याख्यात्मक ज्ञापन।

शहरी मामलों के मंत्री महोदय ने अनुरोध किया है कि आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1956 के नियम 2 के उपनियम (1) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के कारण उनके मंत्रालय को भूतपूर्व मंत्रियों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा, जो आवंटन के हकदार नहीं हैं, 500 रुपए प्रतिमास हकदारी-इतर प्रभार देकर बंगले खाली न करने की समस्या और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अनुरोध किया है कि उक्त उपबन्ध को हटाया जाए। संयुक्त समिति ने उपरोक्त मुद्दे को मान लिया है और नियम 2 के उपनियम (1) के परन्तुक के भाग (ख) को हटाने की सिफारिश की है।

सरकार का प्रस्ताव है कि समिति की सिफारिश को भविष्यलक्षी प्रभाव दिया जाना चाहिए। अतः तद्नुसार विद्यमान नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2000

G.S.R. 450(E).— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30) of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of said section, after consultation with Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of the said section, namely:-

1 (1) These rules may be called the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Amendment Rules, 2000

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, in sub-rule (1) for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely -

"Provided that where a member is allotted housing accommodation in the form of bungalow at his request, he shall pay full normal licence fee if he is entitled to such accommodation".

[F. No. RS-8/2000-2001/MSA]

R. C. TRIPATHI, Secy.-General

Note.— The Principal rules were published vide S.R.O 1972 dated 8.5.1956 and last amended vide notification G S.R. 545(E) dated 31.8 1998.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Explanatory Memorandum to the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) (Amendment) Rules, 2000.

The Minister of Urban Affairs had represented that his Ministry is facing inconvenience and problem in non-vacation of bungalows by Ex-Ministers and Ex-MPs due to the provisions contained in proviso to sub-rule (1) of Rule 2 of the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 insofar as it relates to allotment of bungalows by charging Rs.500/- per month as non-entitlement charges from a Member who is not so entitled He requested that the said provision may be deleted. The Joint Committee considered the above issue and recommended the deletion of part (b) of proviso to sub-rule (1) of rule 2.

The Government have proposed that recommendation of the Committee should be given prospective effect. It is, therefore, proposed to amend the existing Rules accordingly.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2000

सा. का. नि. 451(अ).—संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए, जिसकी राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा, उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अनुमोदन और पुष्टि कर दी गई है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) संशोधन नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 के नियम 4 में, उप नियम (4) के **पश्चात्** निम्नलिखित उपनियम **अंत:स्थापित** किया जाएगा, अर्थात् :-

"(5) उपनियम (1) और उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय टेलीफोन प्रभारों की बाबत छूट के अतिरिक्त, निम्नलिखित में लगाए गए एक टेलिफोन के लगाए जाने और किराए के बाबत संसद सदस्य द्वारा कोई प्रभार देय नहीं होंगे,-

(क) दिल्ली या नई दिल्ली में उसके निवास स्थान पर स्थित उसके कार्यालय में; या

(ख) उसके निवास के प्रायिक स्थान पर; या

(ग) अपने निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के भीतर उसके द्वारा चयनित किसी स्थान पर; या

(घ) उस राज्य के भीतर जिसमें वह निवास करता है, इन्टरनेट संयोजकता के प्रयोजनार्थ, और कोई संसद सदस्य उस टेलीफोन से किसी वर्ष के दौरान की गई पहली पचास हजार स्थानीय कालों की बाबत कोई संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।"

[एफ. सं. आर एस-8/2000-2001/एम. एस. ए.]

आर. सी. त्रिपाठी, महासचिव

टिप्पणी :— मूल नियम, का.नि.आ.सं. 1972 दिनांक 8 मई, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अन्तिम संशोधन सा.का.नि. सं. 545 (अ) दिनांक 31 अगस्त, 1998 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2000

G.S.R. 451(E).— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30) of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of the said section, namely:-

1 (1) These rules may be called the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Amendment Rules, 2000

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In rule 4 of the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, **after** sub-rule (4), the following sub-rule shall be **inserted** namely:-

"(5) In addition to the exemption in respect of telephone charges admissible under the provisions of sub-rule (1) and sub-rule (3), no charges shall be payable by a member in respect of the installation and rental of one telephone installed:-

(a) at his office situated at his residence in Delhi or New Delhi ; or

(b) at his usual place of residence; or

(c) at a place, selected by him, within his constituency or State; or

(d) within the State in which he resides for internet connectivity purposes.

and no member shall be liable to make any payment in respect of the first fifty thousand local calls from the telephone during a year"

[F. No. RS-8/2000-2001/MSA]

R. C. TRIPATHI, Secy.-General

Note.— The principal rules were published vide Notification number S.R.O. No.1972 dated the 8th May 1956 and last amended vide notification number G.S.R. No.545(E) dated 31.8.1998.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2000

सा. का. नि. 452(अ).—संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, संसद सदस्य (कार्यालय -व्यय भत्ता) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए, जिसकी राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा, उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अनुमोदन और पुष्टि कर दी गई है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (कार्यालय-व्यय भत्ता) संशोधन नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संसद सदस्य (कार्यालय -व्यय भत्ता) नियम, 1988 के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) कार्यालय-व्यय भत्ते की रकम- कोई संसद् सदस्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन नौ हजार पांच सौ रूपए प्रति मास की दर से कार्यालय-व्यय भत्ता पाने का हकदार होगा, जिसमें से-

(क) दो हजार पांच सौ रूपए लेखन-सामग्री मदों आदि पर व्यय की पूर्ति के लिए होंगे; और

(ख) एक हजार रूपए, पत्रों की फ्रैंकिंग पर व्यय की पूर्ति के लिए होंगे,

और लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, छह हजार रूपए तक का संदाय ऐसे व्यक्तियों को कर सकेंगे जिसे संसद् सदस्य ने सचिवालयीय सहायता प्राप्त करने के लिए लगाया हो।"

[एफ. सं. आर एस-8/2000-2001/एम. एस. ए.]

आर. सी. त्रिपाठी, महासचिव

टिप्पणी :— मूल नियम, सा.का.नि. 1098 दिनांक 25 नवम्बर, 1988 को प्रकाशित किए गए थे और उनमें अन्तिम संशोधन सा.का.नि. 543 (अ) दिनांक 31 अगस्त, 1998 द्वारा किया गया था।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

(i) आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956

(ii) संसद सदस्य (कार्यालय -व्यय भत्ता) नियम, 1988 का व्याख्यात्मक ज्ञापन

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 (1) के अधीन गठित संसद सदस्य वेतन और भत्ते से संबंधित संयुक्त समिति ने संसद सदस्यों के लिए आवास और टेलीफोन सुविधाओं और कार्यालय-व्यय भत्तों आदि में वृद्धि के रूप में समय-समय पर कतिपय भत्तों और अतिरिक्त सुविधाओं की सिफारिश की है।

सरकार ने समिति की कुछ सिफारिशों को भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू करने के लिए सहमति दे दी है। अतः विद्यमान नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2000

G.S.R. 452(E).— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30) of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Members of Parliament (Office Expense allowance) Rules, 1988 the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of the said section, namely:-

1 (1) These rules may be called the Members of Parliament (Office Expense Allowance) Amendment Rules, 2000

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Members of Parliament (Office Expense Allowance) Rules, 1988, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. **Amount of Office Expense Allowance:-** A Member shall be entitled to receive Office Expense Allowance under section 8 of the Act at the rate of rupees nine thousand five hundred per mensem, out of which-

(a) rupees tow thousand five hundred should be for meeting expenses on stationery item, etc.; and

(b) rupees one thousand should be for meeting expenses on franking of letters,

and Lok Sabha, Rajya Sabha Secretariat may pay upto rupees six thousand to the persons(s) as may be engaged by a Member of Parliament for obtaining secretariat assistance."

[F. No. RS-8/2000-2001/MSA]

R. C. TRIPATHI, Secy.-General

Note.— The principal rules were published vide G.S.R. No.1098(E) dated 25.11.1988 and last amended vide notification G.S.R. No.543(E) dated 31.8.1998.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Explanatory Memorandum to the :

i) The Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956.
ii) The Members of Parliament (Office Expense Allowance) Rules, 1988.

The Joint Committee on Salaries and allowances of Members of Parliament constituted under section 9(1) of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 recommended from time to time certain allowances and additional facilities to the Members of Parliament by way of increase in Housing and Telephone Facilities and Office Expenses Allowance etc

The Government have agreed to some of the recommendations of the Committee with prospective effect. It is, therefore, proposed to amend the existing rules.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.